फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

...ाम न्यायालय

रामेश्वर बनाम नारायण

...स संख्या 18/2018

वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि...
	1-8-19	प० कि० उप०। वकील वादी ने प्रा० पत्र 07R11 CPC का जवाब न देकर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया। प्रा० पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन आदेश प्रा० पत्र 07R11 CPC दिनांक 14/8/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	
	14/8/19	26/8/19	
	26/8/19	29/8/19	
	29/8/19	प० फ० उप०। प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना-पत्र 07R11 CPC स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना-पत्र 07R11 CPC स्वीकार होने से मूलवाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती देवयानी(R.A.S.)

मुकदमा संख्या :–18 / 18

रामेश्वर बनाम नारायणलाल वगै0

(वाद पत्र)

प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी

आदेश

दिनांक:–29.08.2019

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 6 व प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण ने उक्त उनवानी वाद प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 को बतौर हाल सरपंच ग्राम पंचायत तिगरिया व हाल सचिव ग्राम पंचायत तिगरिया अविधिक रुप से पक्षकार बनाते हुए न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विवादित भूमि पर निर्मित सी0सी0 रोड को जरिये आज्ञात्मक निषेधाज्ञा हटवाने एवं वादीगण को हुए तथाकथित नुकसान के लिये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 से 5 लाख रुपये प्रतिकर के रुप में दिलवाने की अनुतोष चाहते हुए उक्त वाद न्यायालय श्रीमान् की क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर पेश किया है, जो पेश रफत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 के तहत ग्राम पंचायत / सरपंच ग्राम पंचायत / सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध कोई भी वाद बिना उन्हे दो माह का विधिक नोटिस दिये बिना पेश रफत नहीं है। जो प्रावधान आज्ञापक है, जिनकी पालना किये बिना कोई भी वाद चलने योग्य नहीं हैं, वादीगण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत करने से प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 को 2 माह का विधिक नोटिस तहत धारा 109 राजस्थान पंचायती राजस्थान अधिनियम नहीं दिया, जिस नोटिस की छूट हेतु धारा 80 सीपीसी के प्रावधान भी लागू नहीं होते है, ऐसे में वादीगण वाद कानूनी आज्ञात्मक प्रावधानों में प्रतिकूल होने से पेश रफत नहीं होने से खारिज योग्य है। वादीगण ने उसको वाद पत्र में खसरा नम्बर 3099 व 3101 में निर्मित तथाकथित सी0सी0 रोड को हटवाने हेतु आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा हैं, न्यायालय श्रीमान् को Mandatory Injection जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। Mandatory Injection जारी करने का एकमात्र अधिकार सिविल न्यायालय को है, ना कि राजस्व न्यायालय को, ऐसे में भी वादीगण का वाद न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज योग्य हैं। वादीगण ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 ता

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

7 से 5 लाख रुपये की राशि बतौर प्रतिकर प्राप्त करने का अनुतोष चाहा हैं, जिस हेतु भी वाद सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही हैं, ना कि राजस्व न्यायालय को। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आज्ञात्मक निषेधाज्ञा जारी करने का मुआवजा राशि/प्रतिकर राशि दिलवाने का कोई भी प्रावधान किसी भी उपबन्ध में नहीं है। ऐसे में वादीगण का वाद विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से पेश रफत नहीं होने से मय हर्जा 5000/– रुपये खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र 07R11 CPC का जवाब न देकर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी/प्रतिवादी में अपने प्रार्थना पत्र का दोहरान किया तथा निवेदन किया की प्रतिकर दावे की सुनवाई को क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जताई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। मूल वाद वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण कर किये गये अवैध निर्माण को हटवाये जाने व अनाधिकृत एवं गैर कानूनी निर्माण के लिए प्रतिकर बाबत् एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। उक्त सुनवाई को क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः उक्त वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 6 व प्रतिवादी संख्या 7 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले नयायालय में सुनाया गया।

सहायक कुलेक्टर
(फा0ट्रै0) चौमूं

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0),चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी:— श्रीमती देवयानी(R.A.S.)

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र भैरु
2. भागीरथ दत्तक पुत्र श्री बींजा

रामरत जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. नारायणलाल पुत्र अर्जुन
2. शैतान पुत्र अर्जुन
3. बनवारीलाल पुत्र अर्जुन
4. बाबुलाल पुत्र मुरलीधर
5. भगवानसहाय पुत्र नारायण
   रामरत जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. अनिता यादव पत्नि दानाराम यादव हाल सरपंच ग्राम पंचायत तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. रामपाल सैनी पुत्र नामालुम जाति माली, निवासी रावण गेट, कस्बा चौमूं, तह चौमूं, जिला जयपुर हाल सचिव ग्राम पंचायत तिगरिया, तह चौमूं, जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् अतिक्रमण कर किये गये निर्माण को हटाये जाने व अनाधिकृत एवं गैर कानूनी निर्माण के लिए प्रतिकर बाबत् एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 179 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:—18/2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 6 व 7 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख **29.08.2019** को जारी किया गया।

मोहर **दस्तखत** ....

ओहदा...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	1
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.12.02 13:12:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: